Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 207-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2018 (AGRAHAYANA 21, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2018

संख्या 102/एस.टी.–1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2018.— चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हैं।

इसलिए, अब, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप–धारा (1) के साथ पठित उक्त उप–धारा के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क तथा घ में दिनांक 13 दिसम्बर/14 दिसम्बर, 2018 की आधी रात से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,–

1. अनुसूची क में,–

   (i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना 3 के नीचे, ''22.26%'' अंक तथा चिह्न के स्थान पर, ''22.26% या नियत मूल्य ₹ 14.25 प्रति लिटर, जो भी अधिक हो'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

   (ii) क्रम संख्या 4 के सामने, खाना 3 के नीचे, ''13.24%'' अंक तथा चिह्न के स्थान पर, ''13.24% या नियत मूल्य ₹ 8.15 प्रति लिटर, जो भी अधिक हो'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. अनुसूची घ में,–

   (i) क्रम संख्या 2 के सामने, खाना 3 के नीचे, ''22.26%'' अंक तथा चिह्न के स्थान पर, ''22.26% या नियत मूल्य ₹ 14.25 प्रति लिटर, जो भी अधिक हो'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

   (ii) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना 3 के नीचे, ''13.24%'' अंक तथा चिह्न के स्थान पर, ''13.24% या नियत मूल्य ₹ 8.15 प्रति लिटर, जो भी अधिक हो'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।